

FP/UP/Min/47074/2020

13  
21

भाग-IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक या वन विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाना है)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और विशेष सिफारिशें।	
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और उस पर टिप्पणियाँ दी जानी चाहिए)	ccf, Lucknow .....की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 27/8/21

स्थान :

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

18  
Anupam Gupta  
Chief Conservator of Forests/Notal Officer  
Forest Conservation Act, 1980  
U.P. Lucknow